भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2060
29.11.2019 को उत्तर के लिए

वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण

2060. श्रीमती संध्या राय :
श्री जी. सेल्वम :
श्री के. नवासखनी :
श्री रेबती त्रिपुरा :
श्री सुब्रत पाठक :
श्री धनुष एम. कुमार :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बस्टर्ड संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान ''वन्यजीव पर्यावासों के समेकित विकास'' की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित वन्यजीवों की रक्षा और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्र से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए दो महीने के भीतर समयबद्ध कार्य योजना बनाने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए वन विभाग को कोई सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित देश में संकटापन्न जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) मंत्रालय ने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के सहयोग से और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से तकनीकी सहायता और राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के वित्तीय सहयोग से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के 'पर्यावास सुधार और संरक्षण प्रजनन एक एकीकृत दृष्टिकोण' नामक कार्यक्रम के लिए पांच वर्षों की समयावधि हेतु 33.85 करोड़ रु. के कुल बजट के साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण प्रजनन की एक पहल की है। इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बंधक संख्या को बढ़ाना और संख्या बढ़ाने के लिए चूजों को जंगल में छोड़ देना और स्वस्थाने प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, वर्तमान में उष्मायित्र, हैचरी, चूजा पालनऔर बंधक पक्षियों के लिए आवास (एक वर्ष की आयु तक) की सुविधा राजस्थान के साम, जैसलमेर में स्थापित की गई है और राजस्थान वन विभाग के कर्मचारियों और भारतीय वन्यजीव के वैज्ञानिकों और 'होउबरा संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय निधि' और रेनिको, अबुधावी जिसे बंधक अवस्था में संबंधित होउबरा और अरबी बस्टर्डजो के प्रजनन का बड़ा अनुभव है द्वारा इसकी देखभाल की जाती है।

इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त कुछ सफलता निम्नानुसार हैं :

i. जंगल से जीआईबी के नौ अण्डों को एकत्रित करना और सुविधा केन्द्र में उन अण्डों को सेने की क्रिया।
ii. थार रेगिस्तान के प्रायरटी पर्यावास एचएसआई के सहयोग से डब्ल्यूआईआई द्वारा 800 से ज्यादा कुत्तों की (जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एक बड़ा खतरा है) नसबंदी करना।
iii. परभक्षी फ्रूफ बाड़ों का निर्माण और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बाड़ों से ग्रेड इंडियन बस्टर्ड घोंसले/अण्डा का सक्रिय निष्कासन।
iv. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर्यावास में पड़ रहीं विद्युत लाइनों का मानचित्रण ।
v. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को उपग्रह के साथ जोड़ना और उनके रूपात्मक व्यवहार के अनुसंधान के लिए उनके कार्यकलापों की निगरानी करना।

(ख) सरकार द्वारा राजय/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वन्यजीव के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शामिल हैं 'वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने वन्यजीव और पर्यावरण मुकदमेबाजी (सीडब्ल्यूईएल) केन्द्र बनाम भारत का संघ और अन्य के मामले में ओ.ए. सं. 385/2019 में अपने आदेश दिनांक 04/09/2019 के द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है जो निम्नलिखित अधिकारियों से युक्त है:

(i) वन महानिदेशक, एमओईएफ और सीसी - **अध्यक्ष**
(ii) अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव), एमओईएफ और सीसी - **सदस्य सचिव**
(iii) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामांकित
(iv) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामांकित
(v) गुजरात और राजस्थान के ऊर्जा विभाग द्वारा नामांकित

समिति का अधिदेश एनजीटी के आदेश दिनांक 04/09/2019 में उल्लिखित डब्ल्यूआईआई की रिपोर्ट की सिफारिशों पर दो महीनों के भीतर समयबद्ध कार्य योजना बनाने का है ।

(घ) मंत्रालय ने "वन्यजीव पर्यावासों के विकास" की केंद्र प्रायोजित स्कीमों के 'प्रजातियों की पुन:बहाली कार्यक्रम' के तहत निम्नलिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए निधियां उपलब्ध कराई हैं :

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
महाराष्ट्र	110.63		135.85	87.81	0
राजस्थान	65.36	121.64	121.387	0	0
कर्नाटक	0	0	0	0	82.58

(ड.) सरकार ने ग्रेड इंडियन बस्टर्ड सहित देश में संकटग्रस्त पशुओं और पक्षियों के संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं, जो निम्नानुसार हैं :

i. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत शिकार और वाणिज्यिक शोषण के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है ।

ii. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके अनुसार, उन्हें शिकार से कानूनी सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त होता है ।

iii. बाजों सहित वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुरूप पूरे देश में संरक्षित क्षेत्र, अर्थात, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों का सृजन किया गया है।

iv. वन्यजीवों के बेहतर संरक्षण और अनुरक्षण के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात् "पर्यावासों के विकास", बाघ परियोजना' और हाथी परियोजना के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय, तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

v. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के महत्वपूर्ण आवासों को उनकी बेहतर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है।

vi. प्रजातियों को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) – वन्यजीव पर्यावासों के विकास के घटक 'प्रजाति पुन:बहाली कार्यक्रम' के तहत संरक्षण के प्रयासों के लिए पहचाना गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इसके निवास स्थान को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्यजीव पर्यावासों के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है ।

vii. राज्य सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के परामर्श से उपरोक्त परियोजना के तहत कोटा जिले, राजस्थान में संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना के लिए एक स्थल की पहचान की गई है। वर्तमान में उष्मायित्र, हैचरी, चूजा पालन और बंधक पक्षियों के लिए आवास (एक वर्ष की आयु तक) की सुविधा होउबारा संरक्षण और रेनिको के लिए अंतरराष्ट्रीय निधि, अबुधावी, जिनको अरबी बस्टर्डों के प्रजनन का काफी अनुभव है, की तकनीकी सहायता से साम, जैसलमेर, राजस्थान और भारतीय वन्यजीव संस्थान, राजस्थान वन विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

viii. मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित वन्यजीवों पर बिजली पारेषण लाइनों और अन्य पॉवर ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपाय सुझाने के लिए एक कार्य बल का गठन किया है।

ix. मंत्रालय ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय से बिजली आपूर्ति एजेंसियों को बिजली लाइनों पर पक्षी डायवर्टर की स्थापना, 33 मीटर केवी तक बिजली लाइनों को भूमिगत करने, पवनचक्कियों के वेनों की पेंटिंग आदि जैसे उपशमक उपायों को लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

*****

अनुबंध–I

'वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण' के संबंध में दिनांक 29.11.2019 को उत्तर के लिए श्रीमती संध्या राय, श्री जी. सेल्वम, श्री के. नवासखनी, श्री रेबती त्रिपुरा, श्री सुब्रत पाठक और श्री धनुष एम. कुमार द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 2060 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजना– वन्यजीव पर्यावासों के विकास' के तहत जारी निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20 (27.11.2019 तक)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	118.49	141.934	191.00	132.64
2	आंध्र प्रदेश	0	0	75.00	0
3	अरुणाचल प्रदेश	256.8107	269.9348	344.42	414.14
4	असम	0	275.827	265.32	164.26
5	बिहार	100.576	322.674	749.00	141.37573
6	चंडीगढ़	26.06514	26.065	0	0
7	छत्तीसगढ़	278.9453	435.014	350.61	310.0318
8	गोवा	0	85.9938	0	0
9	गुजरात	497.604	558.52	2232.00	0
10	हरियाणा	124.6572	181.4448	155.00	237.6078
11	हिमाचल प्रदेश	280.31	237.4107	370.30	305.76554
12	जम्मू और कश्मीर	336.50626	577.9151	492.43	0
13	झारखंड	0	95.607	50.51	93.96
14	कर्नाटक	325.52	427.89	653.00	418.56788
15	केरल	1928.42	900.834	1293.40	574.916
16	मध्य प्रदेश	322.265	1379.488	912.20	629.266
17	महाराष्ट्र	497.35	808.0555	1031.20	553.333
18	मणिपुर	340.032	425.664	405.60	359.35
19	मेघालय	55.23	114.061	312.00	0
20	मिजोरम	1234.95	487.445	430.00	0
21	नगालैंड	357.846	565.871	882.20	777.83
22	ओडिशा	279.65	342.937	499.00	558.474
23	राजस्थान	453.87878	622.421	585.00	679.56789
24	सिक्किम	145.52	202.154	394.00	396.2745
25	तमिलनाडु	0	394.725	384.10	409.5048
26	तेलंगाना	0	157.0833	0	0
27	उत्तर प्रदेश	250.956	386.968	119.81	426.611
28	उत्तराखंड	545.30576	2979.361	1764.10	694.40627
29	पश्चिम बंगाल	237.66	657.992	960.60	800.61055
30	पुडुचेरी	0	0	0	0
31	लक्षद्वीप	0	6.71	46.30	136.792
32	दिल्ली	0	0	551.90	0
33	डब्ल्यूआईआई, देहरादून– (उत्तराखंड)	0	932.00	0	0
33	त्रिपुरा	0	0	0	90.31679
	कुल	**8994.54814**	**15000.00**	**16500.00**	**9305.60155**

*****